स्वैच्छिक सहायता प्राप्त मरण अधिनियम 2019 की क्रियान्वयन परियोजना

फैक्ट शीट – सामान्य समुदाय के लिए जानकारी

मुख्य संदेश

- वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने स्वैच्छिक सहायता प्राप्त मरण को एक विकल्प बनाने वाला ऐसा कानून पारित किया है जो **मध्य-2021** में पात्र लोगों के लिए उपलब्ध होगा। इससे 18-माह की एक क्रियान्वयन अवधि की अनुमति मिलेगी।
- स्वास्थ्य विभाग वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में उपलब्ध होने वाले स्वैच्छिक सहायता प्राप्त मरण की तैयारी पर काम कर रहा है
- यह सुनिश्चित करने के कई पहलू हैं कि स्वैच्छिक सहायता प्राप्त मरण सुरक्षित, सुलभ और व्यक्ति-केंद्रित है
- स्वास्थ्य विभाग ने क्रियान्वयन परियोजना के लिए विशेषज्ञ मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु एक क्रियान्वयन नेतृत्व टीम बनाई है

स्वैच्छिक सहायता प्राप्त मरण क्या है?

स्वैच्छिक सहायता प्राप्त मरण में औषधियों की सुलभता और एक पात्र व्यक्ति को कानूनी रूप से अपनी मृत्यु का तरीका और समय चुनने में सक्षम करने की प्रक्रिया शामिल है।

शब्द 'स्वैच्छिक सहायता प्राप्त मरण' (वॉलंटरी असिस्टेड डाइंग) व्यक्ति के चयन की प्रकृति और इस निर्णय को लेने की उनकी स्थायी क्षमता पर जोर देता है।

स्वैच्छिक सहायता प्राप्त मरण तक पहुंचने में कौन समर्थ होगा?

ऐसे व्यक्ति को अवश्य ही एक वयस्क होना चाहिए जो एक ऑस्ट्रेलियाई नागरिक है या स्थायी निवासी है और कम से कम 12 महीने से वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का सामान्य निवासी रहा है।

व्यक्ति में अवश्य ही कोई ऐसा रोग, बीमारी, या चिकित्सीय स्थिति होनी चाहिए जो उन्नत, बढ़ती हुई है और जिसके कारण 6 माह, या यदि यह एक न्यूरोडीजनरेटिव स्थिति (उदाहरण के लिए मोटर न्यूरॉन रोग) है तो 12 माह के भीतर मृत्यु (संभावनाओं के संतुलन पर) हो जाएगी । इसके कारण ऐसी तकलीफ अवश्य होनी चाहिए जिससे किसी व्यक्ति को उसके सहन कर सकने लायक तरीके से राहत नहीं दी जा सकती।

व्यक्ति में स्वैच्छिक सहायता प्राप्त मरण के संबंध में निर्णय-लेने की क्षमता अवश्य होनी चाहिए। वे अवश्य ही स्वैच्छिक रूप से और बगैर दबाव (जोर) के काम कर रहे हों। उनका अनुरोध स्थायी होना चाहिए।

मुझे और क्या जानने की जरूरत है?

यह एक आरंभिक सरल फैक्ट शीट है और यह स्वैच्छिक सहायता प्राप्त मरण पर विस्तृत जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से नहीं है।

मुझे स्वैच्छिक सहायता प्राप्त मरण अधिनियम 2019 के बारे में अधिक जानकारी कहां मिल सकती है?

कानून में इस बारे में बहुत अधिक ब्योरा है कि किसे स्वैच्छिक सहायता प्राप्त मरण सुलभ है और वे प्रक्रियाएं जिनका अवश्य पालन किया जाना चाहिए।

अधिक जानकारी के लिए, और पूरा कानून देखने के लिए, कृपया स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट पर जाएं: www.health.wa.gov.au/voluntaryassisteddying

निर्गत तिथि: जून 2020

वेबसाइट में स्वैच्छिक सहायता प्राप्त मरण प्रक्रिया की रूपरेखा देने वाला एक फ्लो चार्ट और एक प्रस्तुतिकरण (प्रजेंटेशन) भी शामिल है जिसे आप देख और सुन सकते हैं। ये अधिक जानने के लिए अच्छे शुरुआती बिंदु हैं।

स्वैच्छिक सहायता प्राप्त मरण की तैयारी के लिए स्वास्थ्य विभाग क्या कर रहा है?

वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में स्वैच्छिक सहायता प्राप्त मरण का क्रियान्वयन ठीक से हो यह सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग में एक परियोजना पर काम चल रहा है।

यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि प्रक्रिया सुरक्षित, उपयुक्त हो और कानून का पालन करती हो।

क्या तैयारी किए जाने की जरूरत है?

यह सुनिश्चित करने के कई पहलू हैं कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया उस समय के लिए तैयार है जब स्वैच्छिक सहायता प्राप्त मरण पात्र लोगों के लिए उपलब्ध विकल्प बन जाएगा।

स्वैच्छिक सहायता प्राप्त मरण अधिनियम 2019 कई रूपों और विवरणों, तथा विभिन्न प्रक्रियाओं की रूपरेखा देता है जिनका पालन अवश्य किया जाना चाहिए। तैयारियां किए जाने की जरूरत है ताकि इसमें शामिल हर व्यक्ति इन आवश्यकताओं को समझे जिससे उनका सही ढंग से पालन किया जा सके।

प्रक्रिया में भाग लेने वाले डॉक्टर और नर्स प्रैक्टिशनर के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित किए जाने की जरूरत है, स्वैच्छिक सहायता प्राप्त मरण बोर्ड स्थापित किए जाने की जरूरत है और संसाधित करने और डेटा एकत्रित करने के लिए IT प्रणालियां बनाए जाने की जरूरत है।

सेवाएं स्थापित किए जाने की जरूरत है ताकि नियत (प्रिस्क्राइब) किए जाने पर लोगों को स्वैच्छिक सहायता प्राप्त मरण पदार्थ सुलभ हो सके।

एक देखभाल दिशानिर्देशक सेवा (केयर नेविगेटर सर्विस) भी होगी जो स्वैच्छिक सहायता प्राप्त मरण के बारे में जानकारी प्राप्त करने में लोगों की सहायता करेगी और जरूरत पड़ने पर प्रक्रिया के दौरान लोगों की मदद करेगी।

तैयारियों में कौन मदद कर रहा है?

स्वास्थ्य विभाग ने डॉ. स्कॉट ब्लैकवैल के नेतृत्व में एक क्रियान्वयन नेतृत्व टीम बनाई है, जो स्वैच्छिक सहायता प्राप्त मरण पर मंत्रालयी विशेषज्ञ पैनल में भी थे। यह टीम चिकित्सा, नर्सिंग, स्वास्थ्य और समुदायिक प्रतिनिधियों से बनी है। और अधिक विवरण वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

तैयारियों के दौरान, क्रियान्वयन नेतृत्व टीम यह सुनिश्चित करने के लिए कई अन्य प्रतिनिधियों और हितधारकों के साथ मिलकर काम करेगी कि WA में स्वैच्छिक सहायता प्राप्त मरण लागू करने के अधिक विस्तृत पहलू विकसित करते समय उनके पास सही जानकारी हो।

मुझे और अधिक जानकारी कहां मिलेगी?

आने वाले साल में क्रियान्वयन के लिए तैयारी पर फोकस रहेगा। हमें आशा है कि 2021 में आपको जानकारी देने के लिए बहुत कुछ होगा क्योंकि तभी हम उस समय के करीब पहुंचेंगे जब स्वैच्छिक सहायता प्राप्त मरण पात्र लोगों के लिए उपलब्ध होगा।

मुझे प्रगति को लेकर अप-टू-डेट कैसे रखा जा सकता है?

क्रियान्वयन नेतृत्व टीम साल भर ईमेल अपडेट भेजती रहेगी। इन अपडेट को प्राप्त करने के लिए यहां साइन अप करें।

क्या कुछ और है जो मुझे जानना चाहिए?

उस प्रक्रिया के बारे में बहुत सारी जानकारी है जिसकी वजह से वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में स्वैच्छिक सहायता प्राप्त मरण कानून के रूप में पारित होने जा रहा है और स्वैच्छिक सहायता प्राप्त मरण पर मंत्रालयी विशेषज्ञ पैनल की अंतिम रिपोर्ट इसमें शामिल मुद्दों का एक बढ़िया संपूर्ण सारांश प्रदान करती है। (हालांकि कृपया ध्यान दें कि कानून के कुछ पहलू पैनल की सिफारिशों से थोड़े अलग हैं)।

निर्गत तिथि: जून 2020

साथ ही इंटरनेट पर भी विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया सहित ऐसे अन्य स्थानों के बारे में बहुत सारी जानकारी उपलब्ध है जहां किसी न किसी रूप में स्वैच्छिक सहायता प्राप्त मरण उपलब्ध है। आप देख सकते हैं कि स्वैच्छिक सहायता प्राप्त मरण के संबंध में और अधिक सामान्य जानकारी के साथ व्यवहार करने वाले संसाधन काफी मददगार हैं लेकिन ध्यान रखें कि स्थानीय कानूनों और प्रक्रियाओं के विवरण वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियाई कानूनों से काफी अलग हो सकते हैं।

निर्गत तिथि: जून 2020